अनवान मुरारी लाल बनाम श्रीमती कमला
प्रकरण सं. 99/2010

प्रार्थीया/प्रतिवादी कमला पत्नी स्व. बनवारी लाल द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2017 प्रार्थीया के हक में किया जा चुका है। इसलिए उक्त मुकदमा चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय निर्णय की प्रति पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. सुनी गई। वकील प्रतिवादी की मुख्य बहस प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. यह रही कि वाद में वर्णित इसी भूमि, इन्ही पक्षकारो, एवं इसी विवाद्यक पर माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 09.02.2017 को निर्णय किया जा चुका है। इस कारण यह वाद माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2017 के अनुसार चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद को खारिज किया जावे। वकील वादी की जवाब बहस यह रही कि इस सम्बन्ध में पूर्व में प्रस्तुत धारा 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र दोनो वाद को अलग मान कर खारिज किया गया था। राजस्व वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। निर्णय दिनांक 09.02.2017 अपील की जा चुकी है। प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. में वाद खारिज नहीं हो सकता है। क्योंकि वाद को निरस्तम किये जाने के प्रावधान आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में वर्णित है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। न्यायालय के सक्षम विचारणीय बिन्दु यह है कि निर्णय दिनांक 09.02.2017 का प्रभाव हस्तगत वाद पर है अथवा नहीं ? पत्रावली पर प्रस्तुत माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2017 व प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी. का निर्णय दिनांक 25.06.2016 का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 10 सी.पी.सी. दिनांक 26.03.2012 निर्णय दिनांक 25.05.2016 में राजस्व वाद सिविल वाद का पूर्ववर्ती होने के कारण धारा 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। परन्तु वर्तमान में सिविल वाद निर्णित हो चुका है व हस्तगत राजस्व वाद अभी भी विचाराधीन है।

माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 09.02.2017 द्वारा वादीगण (हस्तगत वाद में प्रतिवादीगण) के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी(हस्तगत वाद में वादी) शाश्वत व्यादेश भी इस आशय का जारी किया गया है कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि को अन्य किसी को रहन, बैय व अन्तरित करने तथा इस भूमि पर किसी प्रकार से कोई भार सृजित करने तथा वादीगण(हस्तगत वाद में प्रतिवादीगण) के कब्जे में कोई दखल अन्दाजी करने से वर्जित रहे। हस्तगत वाद में भी यही अनुतोष का विन्दु है। अतः प्रकरण में पक्षकार, भूमि व अनुतोष समान होने व माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

कार्यालय
[cut off]ण्ड अधिव[cut off]
एवं
खण्ड मजिस[cut off]
श्रीगंगानगर

1 श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 09.02.2017 के पूर्ववर्ती निर्णय होने के कार[cut off] इस वाद का कोई औचित्य शेष नहीं रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर हस्तगत वा[cut off] रेस-ज्यूडिकेटा से प्रभावित होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखि[cut off] अभिलेखागार हो।

आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाक[cut off] शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner